प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में }

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियमं, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

और एशियाटिक स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

(CIN: U74899UP1994PLC050968)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः ॥सी / 112, सैक्टर 2, नोएंडा, उत्तर प्रदेश—201301

में हैं, के मामले में .आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश

राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 13 दिसंबर 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की

गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र

जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

पर भी भेजें। ॥ सी / 112, सैक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से एशियाटिक स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

> हरविंद कुमार गुप्ता (निदेशक) डीआईएन: 00774839

दिनांक: 18.01.2023 स्थान: नोएडा

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

एशियाटिक स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड (CIN: U74899UP1994PLC050968)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः ॥ सी / 112,

सैक्टर 2, नोएंडा, उत्तर प्रदेश—201301

में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 13 दिसंबर 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की

गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते परभी भेजें।

॥ सी / 112, सैक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से एशियाटिक स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड हस्ता / —

हरविंद कुमार गुप्ता

दिनाक : 18.01.2023 स्थान : नोएडा

डीआईएन: 00774839